आदेश और कम संख्या	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
12.07.2013	न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा भूमि विवाद अपील वाद संख्या 276/2013 मायाशंकर सिंह एवं अन्य – अपीलार्थी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य संदर्भ वाद मौजा– पैता (विराटपुर), थाना नं0– 26 अंचल– एवं थाना– सोनवर्षा, जिला– सहरसा के खाता नया 333 खेसरा नया 525 रकबा 46 डिसमल चौहद्दी– उत्तर – सड़क, दक्षिण– अनिल कुमार सिंह वगैरह, पूरब– सड़क एवं पश्चिम– निज से संबंधित है। अपीलार्थी मायाशंकर सिंह पिता स्व0 प्रदीप नारायण सिंह, संदीप कुमार सिंह पिता– माया शंकर सिंह एवं अमरदीप सिंह, पिता– मायाशंकर सिंह सभी साकिनान– विराटपुर, थाना वो अंचल– सोनबरसा, जिला– सहरसा द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा के न्यायालय में भूमि विवाद वाद संख्या 203/12 बुद्धि नाथ सिंह बनाम माया शंकर सिंह वगैरह में पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है। अपील वाद में वादी का कथन है कि अपीलार्थी जो निम्न न्यायालय में प्रतिवादी थे। विपक्षी निम्न न्यायालय में वादी थे, जिन्होंने अपीलार्थी (प्रतिवादी) के विरूद्ध भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 वो नियमावली के सुसंगत धाराओं के तहत शिकायत पत्र दाखिल यह कहते हुए किए कि विवादी भूमि खाता नया 333 खेसरा नया 523 रकबा 46 डी0 का रिविजनल सर्वे खतियान प्रतिपक्षी (वादी) बुद्धि नाथ सिंह वो कैलाश प्रसाद सिंह वो राम विलाश सिंह वो राम सागर सिंह वो उमेश चन्द्र सिंह पिता स्व0 जगदीश प्रसाद सिंह के नाम दर्ज तथा आवेदक के अन्य भाई सरकारी व गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्यरत रहने के कारण बाहर रहते हैं विपक्षी (वादी) अधिवक्ता हैं। समय समय पर घर गृहस्थी का कार्य करते हैं व विपक्षी (वादी) ही विवादी भूमि का देख रेख करते आ रहे हैं। विवादी भूमि अन्य खेसरा के	

साथ खिल्लत मिल्लत में हैं तथा विवादी भूमि पर विपक्षी (वादी) के नाम बैंक से ऋण भी प्राप्त है तथा उसे भू– स्वामित्व प्रमाण पत्र भी है। जिस भूमि पर अपीलार्थी (प्रतिवादी) ईट इकट्ठा कर चौक दिया है तथा कुछ अंश भाग घर बना हुआ है। अपीलार्थी (प्रतिवादी) ईंट हटा लेने को कहा तो पहले बोला कि हटा लेंगे किन्तु अब ईट हटाना नहीं चाहते हैं व जमीन पर घर बना लेने की बात करते हैं।

वादी का यह भी कथन है कि वे एवं विपक्षी एक ही खानदान के हैं व उक्त विवादी भूमि का पुराना खाता वादी एवं प्रतिवादी के पिता व दादा के नाम दर्ज हैं तथा आपसी हिस्सा के मुताबिक अपीलार्थी (प्रतिवादी) का है, जिस पर बहुत कबल से दखल कब्जा है घर मकान है, मात्र नया सर्वे में सर्वे अमला अधिकारी की गलती से खाता वादी एवम उनके भाईयों के नाम खुल गया, जिसे वादी बराबर सुधार कर देने का आश्वासन देते रहे, जिस वजह से सर्वे के विरूद्ध कोई वाद नहीं लाया लेकिन इधर वादी की नियत खराब हो गई है उन्होंने अपने अधिवक्ता होने का नाजायज फायदा उठाने हेतु वाद निम्न न्यायालय में लाये थे जबकि उनके भाईयों के द्वारा वाद नहीं लाया गया था जो वैसे भी पक्षकार के दोष से ग्रसित है। उनका यह भी कथन है कि निम्न न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों द्वारा दाखिल कागजातों का कोई न्यायिक विवेचना नहीं किया गया और सरजमीन का भौतिक सत्यान सरकारी अमीन से नहीं करवाया गया। जबकि अंचलाधिकारी द्वारा भेजे गये रिपोर्ट में अपीलार्थी के दखल कब्जा को आपसी हिस्से के मुताबिक दखल स्वीकार किया गया व घर मकान बना हुआ पाया गया। इन सारे तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए विपक्षी के पक्ष में विवादी भूमि का हाल सर्वे खतियान के आधार पर विपक्षी के अधिकार एवं दखल कब्जा को सम्पुष्ट करते हुए वाद को स्वीकृत किया गया एवं अपीलार्थी (प्रतिवादी) को विवादी भूमि से घर मकान व इससे ईंट हटाने का आदेश पारित किया गया जिस वजह से अपील वाद दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सूना एवं निम्न न्यायालय का संदर्भित वाद में पारित आदेश का अवलोकन करने से यह तथ्य

उभर कर सामने आया कि,

उभय पक्षों द्वारा दाखिल कागजी प्रमाण के मुताबिक खाता पु0 III वकास्त मालिक की एंराजी थी तथा पुराना खेसरा 632 खाता पुराना III रकबा 99 डिसमल दर्ज है तथा हाल सर्वे खतियान वादी एवं प्रतिवादी के नाम अलग–अलग कब्जा के मुताबिक दर्ज है।

अपीलार्थी की ओर से दाखिल बदलेननामा के अनुसार उनके विवादी खेसरा की पश्चिम चौहद्दी में नाम अंकित है, जिससे प्रतिपक्षी के हक एवं अधिकार प्रभावित नहीं होता है।

अपीलार्थी द्वारा निम्नन्यायालय में दाखिल जबाब में विवादी भूमि को पैत्रिक सम्पति बतलाया गया है तथा उसी भूमि को बदलेननामा से भी प्राप्त होना बताया गया है जो विरोधाभाषी पाया गया है। राजस्व अपील से संबंधित एवं न्यायालय सब जज में वादी होने की कोई प्रमाण उक्त न्यायालय में दाखिल नहीं की गई तथा इनके द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद होने के संबंध में कोई भी केश नम्बर का पत्र प्रमाण दाखिल नहीं किए जाने के कारण यह भ्रमक एवं मिथ्या कथन है।

अपीलार्थी के द्वारा सर्वे एवं सर्वे के पश्चात किसी भी प्रकार का आपत्ति दर्ज नहीं करने से भी विवादी भूमि का हाल सर्वे खतियान प्रतिवादी के नाम खुलना सही है।

प्रतिपक्षी के द्वारा निम्नन्यायालय में दाखिल भू– स्वामित्व प्रमाण पत्र जो दिनांक 26.07.2009 को निर्गत है, जिसमें से विवादी भूमि पर प्रतिपक्षी श्री बुद्धिनाथ झा का दखल कब्जा के मुताबिक अद्यतन लगान रसीद प्राप्त है, जिस आधार पर भी विवादी भूमि पर प्रतिवादी के दखल कब्जा प्रमाणित है।

निम्न न्यायालय द्वारा संदर्भगत खाता खेसरा की भूमि पर प्रतिवादी के अधिकार एवं दखल कब्जा सम्पुष्ट किया गया है तथा अपीलार्थी को विवादी भूमि पर रखे ईट एवं किसी भी प्रकार के अवैध संरचना को स्वयं से हटाने का निदेश दिया गया है अन्यथा की स्थिति में अंचलाधिकारी एवं स्थानीय पुलिस के द्वारा विवादी भूमि को खाली करवाने के लिए अधिकृत

किया गया है तथा कृत पर होने वाली व्यय भी विपक्षी को वहन करने का आदेश पारित हैं।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील दायर करने का पर्याप्त आधार नहीं है। अतएवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अपील आवेदन को खारिज करते हुए इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

(पंकज कुमार)
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा